

सेवायोजन विज्ञप्ति:

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक संख्या-एम०ई०-3/2024/2443 दिनांक-22 अक्टूबर, 2024 के द्वारा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि दिनांक-20.10.2024 का मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में मेडिकल कालेजों, की चिकित्सा प्रबन्धन एवं गरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सीय सुविधाओं एवं उनके तीमारदारों को बेहतर आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से हास्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन (Hospital Administration) के कार्यों को सुचारु रूप से संचालित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है। उक्त के अनुपालन में राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ में नॉन पीजी जूनियर रेजीडेंट के रिक्त पदों के सापेक्ष नॉन पीजी जूनियर रेजीडेंट अस्पताल प्रशासन (Hospital Administration) के पदों पर चयन हेतु वॉक-इन-इन्टरव्यू (Walk-in-Interview) के माध्यम से कालेज स्तर से चयन किया जाना है, इच्छुक अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह साक्षात्कार के समय अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्रों शैक्षिक/अनुभव प्रमाण-पत्रों/शोध पत्रों/आधार कार्ड एवं जाति प्रमाण पत्र की (स्व प्रमाणित) छायाप्रति सहित 01 सेट बायोडाटा के साथ प्रत्येक मंगलवार को (पद भरे जाने तक) प्रधानाचार्य कार्यालय में प्रातः 11:00 बजे से सायं 03:00 बजे तक उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

उक्त हेतु पदों का विवरण निम्नवत् है-

राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ में नॉन पीजी जे०आर० के रिक्त पदों के सापेक्ष नॉन पीजी जे०आर० अस्पताल प्रशासन (Hospital Administration) के रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है-			
क्र०	विशिष्टता का नाम	रिक्त पदों की संख्या	आवेदक की अर्हता
1.	अस्पताल प्रशासन (Hospital Administration)	03 (सामान्य-01), (अन्य पिछड़ा वर्ग-01), (अनुसूचित जाति-01)	एम०बी०बी०एस०/बी०डी०एस० एवं किसी भी चिकित्सकीय संस्थान से 02 वर्षीय पूर्णकालिक पीजी डिग्री-मास्टर्स इन हास्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की अर्हता रखते हो)

नोट-शासन के द्वारा जारी आरक्षण रोस्टर के आधार पर ही चयन प्रक्रिया की जायेगी एवं सीटों की संख्या आवश्यकतानुसार घट एवं बढ़ सकती है।

- संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले जूनियर रेजीडेंट (नॉन पीजी) का वेतनमान रु० 56100/- (7th Pay Level-10) प्रतिमाह है।
- समस्त पदों पर योग्यता एन०एम०सी० नई दिल्ली के मानकों के अनुसार एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार होगी।
- अभ्यर्थी की आयु साक्षात्कार की तिथि को 45 वर्ष या उससे कम होनी चाहिये।
- संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले जूनियर रेजीडेंट (नॉन पीजी) की सेवाएं महानिदेशालय से सेवा बाण्ड के आधार पर चयनित जूनियर रेजीडेंट (नॉन पीजी) के उपलब्ध होने/सम्बन्धित विषय में पीजी/डिप्लोमा छात्र/छात्राओं के प्रवेश लेने पर (Last Come First Go) के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी की सेवा तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर 01 माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है, संविदा छोड़ने की स्थिति में 01 माह पूर्व नोटिस न देने की स्थिति में 01 माह का वेतन/मानदेय कोषाकार के माध्यम से जमा कराना होगा।
- जूनियर रेजीडेंट (नॉन पीजी) हेतु अभ्यर्थी का Compulsory Rotatory Internship Training दिनांक-30.06.2024 तक पूर्ण होनी चाहिए।
- आवेदक को एन०एम०सी०/मेडिकल कौन्सिल ऑफ इण्डिया/उ०प्र० स्टेट मेडिकल कौन्सिल में स्थायी पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में प्रोविजनल डिग्री मात्र 06 माह की अवधि तक मान्य होगा।
- अभ्यर्थियों का चयन अर्हता परीक्षा के प्राप्तांको एवं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में प्राप्त प्राप्तांको के आधार पर किया जायेगा।
- साक्षात्कार हेतु कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
- ये नियुक्ति पूर्णतय: अस्थायी है।
- हाईस्कूल प्रमाण-पत्र (जन्म तिथि सत्यापन हेतु)।
- उक्त पदों पर शासन के नियमानुसार आरक्षण लागू होगा।
- यदि अभ्यर्थी पूर्व से ही किसी संस्थान में कार्यरत है, साक्षात्कार हेतु सम्बन्धित संस्थान से अनुभव प्रमाण-पत्र/कार्यमुक्त आदेश/अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

नोट-वॉक-इन-इन्टरव्यू (Walk-in-Interview) में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का कोई भत्ता देय नहीं होगा।

प्रधानाचार्य,
राजकीय मेडिकल कालेज,
बदायूँ।

पत्रांक सं०- ५९ /रा०मे०का०ब०/2025

तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को महानिदेशालय के बेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।
3. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० सूचना भवन, पार्क रोड, लखनऊ।
5. प्रधानाचार्य समस्त मेडिकल कालेज/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, उ०प्र०।
6. प्रभारी अधिकारी, अधिष्ठान, राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ।
7. प्रभारी अधिकारी, बेबसाइट मेडिकल कालेज, बदायूँ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को कालेज की बेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
8. समस्त सदस्य चयन समिति, राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ।
9. उप-प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ।
10. प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ।
11. कार्यालय अधीक्षक/लेखानुभाग, राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ।
12. समस्त नोटिस बोर्ड चरपा।


प्रधानाचार्य,
राजकीय मेडिकल कालेज,
बदायूँ।